समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प, भोपाल

म0प्र0

निगरानी प्रकरण कं. /15

श्रीमती कोमल बाई पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर
आयु वयस्क, निवासी– विश्वकर्मा नगर,
भोपाल म0प्र0 ----- आवेदिका/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

(1) श्रीमती पुष्पा सेनिक
पत्नि श्री मालम सिंह आयु वयस्क,
निवासी– 3473, पी.एन.बी. कालोनी,
देवास म0प्र0 ----- अनावेदकगण

(2) म. प्र. शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

आवेदिका की ओर से माननीय भू–अधीक्षक, भू–अभिलेख, भू–परिवर्तन गोविंदपुरा वृत्त तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण कं. 18/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25/11/2014 से दुखित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हैः–

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी के तथ्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1562–पीबीआर/15 **जिला** भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–10–2015	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह निगरानी तहसील न्यायालय हुजूर जिला भोपाल के सीमांकन आदेश दिनांक 25–11–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 5–6–2015 को लगभग 5 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और आवेदिका की ओर से अवधि विधान की धारा 5 में विलम्ब का कारण अनावेदिका की अनुपस्थिति में सीमांकन किये जाने एवं दिनांक 29–5–15 को अनावेदिका कमांक 1 द्वारा आवेदिका की भूमि पर कब्जा लेने की कार्यवाही करने पर जानकारी होना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है, कारण सीमांकन के पश्चात् कब्जा प्राप्त करने की प्रकिया है, और बिना प्रकिया अपनाये कब्जा नहीं लिया जा सकता है । । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	